रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2009/श्रावण 8, 1931

No. 1192] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2009/SRAVANA 8, 1931

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2009

का.आ. 1866(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को रोकने के लिए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है इन प्राधिकारियों के पास उक्त अधिनियम के उक्त उपबंध की धारा 12 और 13 के अंतर्गत प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियाँ होंगी :-

क्र.सं.	पदनाम	विभाग
(1)	(2)	(3)
1.	सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधीक्षक व इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी	राजस्व विभाग
2.	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के निरीक्षकों अथवा इससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी	राज्य का राजस्व/स्वास्थ्य/ परिवहन विभाग
3.	कनिष्ठ श्रम आयुक्त एवं इससे ऊपर	श्रम विभाग
4.	संयुक्त निदेशक	उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त का कार्यालय
5.	पुलिस/खाद्य एवं औषध प्रशासन का उप-निरीक्षक और इसके ऊपर का एवं पुलिस उप-निरीक्षक के रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी	जाँच एवं औषध विभाग एवं गृह कार्य विभाग

[पी-16011/7/2005-पी एच-I]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the 30th July, 2009

S.O. 1866(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby authorises officers mentioned in column (2) of the Table given below, who shall be competent to act under sections 12 and 13 of the said Act and are conferred with the power of Entry, Search and Seizure under the said provision of the said Act.

TABLE

S.No.	Desigantion	Department
(1)	(2)	(3)
1.	All officers of the level of Superintendent and above of the Customs and Central Excise.	Department of Revenue
2.	All officers of the rank of Inspectors and above of Sales Tax /Health/Transport Departments	Department of Revenue/ Health Transport of the State
3.	Junior Labor Commissioner and above	Labor Department
4.	Joint Director	O/o. Commissioner of Industries/Small Scale Industries.
5.	Sub-Inspector and above of Police/State Food and Drug Administration or any other officer holding the equivalent rank of Sub-Inspector of Police.	Department of Food and Drugs and Department of Home Affairs.

[P. 16011/7/2005-PH-I]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.